रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 15, 2018/माघ 26, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 446
No. 43]	DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 15, 2018/MAGHA 26, 1939	[N.C.T.D. No. 446

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 13 फरवरी, 2018

सं. 1/2018-राज्य कर

सं. फा. 03(83)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/74.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 10 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जी एस टी परिषद की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली सरकार के वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना सं. 8/2017- राज्य कर, तारीख 30 जून, 2017, जिसे सं. फा. 03/(14)वित्त/(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/357, तारीख 30 जून, 2017, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग IV, में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है यथा :-

उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में -

(क) उप-वाक्य (i) में "एक प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "आधा प्रतिशत" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ख) उप-वाक्य (iii) में "आवर्त का आधा प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति के आवर्त का आधा प्रतिशत" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 जनवरी, 2018 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए० के० सिंह, उप सचिव -VI (वित्त)

नोटः- प्रधान अधिसूचना संख्या 8/2017-राज्य कर, दिनांक 30 जून, 2017, को सं. फा. 03/(14)वित्त/(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/357, तारीख 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 46/2017-राज्य कर, दिनांक 27 नवंबर, 2017, जिसे सं. फा. 03(54)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/760, तारीख 27 नवंबर, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 13th February, 2018

No. 1/2018–State Tax

No. F.3(83)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/74.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Delhi in the Department of Finance (Revenue-1), No. 8/2017-State Tax, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3(14)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/357, dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the opening paragraph, -

(a) in clause (i), for the words "one per cent.", the words "half per cent." shall be substituted;

(b) in clause (iii), for the words "half per cent. of the turnover", the words "half per cent. of the turnover of taxable supplies of goods" shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2018.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A.K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

Note: The principal notification No.8/2017- State Tax, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number F.3(14)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/357, dated the 30th June, 2017 and last amended by state notification No. 46/2017-State Tax, dated 27th November, 2017 published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number. F.3(54)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/760, dated the, 27th November, 2017.

अधिसूचना

दिल्ली, 13 फरवरी, 2018

सं. 2/2018–राज्य कर (दर)

सं. फा. 3(84)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/75.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 जिसे सं. फा. 03(15)/वित्त (राजस्व-1)/2017-18/डीएस-VI/380, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-**IV**, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-
उक्त अधिसूचना में, सारणी में , -

(**क**) क्रम संख्या 3 के समक्ष कालम (3) की प्रविष्टि में, "सरकारी प्राधिकारी" शब्दों के पश्चात "या सरकारी निकाय" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा, -

(**ख**) क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3क	अध्याय 99	संविधान के अनुच्छेद 243छ के अंतर्गत किसी पंचायत को या संविधान के अनुच्छेद 243ब के अंतर्गत किसी नगर निगम को सौंपे गए किसी कार्य से संबंधित किसी क्रियाकलाप के माध्यम से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय को दी जाने वाली माल एवं सेवाओं की संयुक्त आपूर्ति जिसमें माल की उक्त संयुक्त आपूर्ति का मूल्य ऐसी आपूर्ति के मूल्य से 25 प्रतिशत से अधिक न हो।	शून्य	शून्य";

(**ग**) संख्या 16 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(**घ**) क्रम संख्या 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"19क	शीर्ष 9965	भारत में स्थित किसी कस्टम्स क्लीयरेंस स्टेशन से भारत के बाहर स्थित किसी स्थान पर वायुयान के द्वारा माल का परिवहन करने के माध्यम से दी जाने वाली सेवा	शून्य	इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 30 सितम्बर, 2018 के बाद लागू नहीं होगी।
19ख	शीर्ष 9965	भारत में स्थित किसी कस्टम्स क्लीयरेंस स्टेशन से भारत के बाहर स्थित किसी स्थान पर जलयान के द्वारा माल का परिवहन करने के माध्यम से दी जाने वाली सेवा	शून्य	इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 30 सितम्बर, 2018 के बाद लागू नहीं होगी।"

(ङ) संख्या 22 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (ख) के पश्चात, निम्नलिखित मद को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"(ग) ऐसे किसी व्यक्ति को विद्यार्थियों, अध्यापकों और कर्मचारियों के परिवहन के लिए मोटर वाहन जो कि ऐसे शैक्षणिक संस्थान को विद्यार्थियों, अध्यापकों और कर्मचारियों के परिवहन की सेवा प्रदान करता हो जो कि विद्यालय पूर्व की शिक्षा और माध्यमिक स्तर या समकक्ष तक की शिक्षा के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान करता है;";

(च) क्रम संख्या 29 के समक्ष और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"**29**क	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	केन्द्र सरकार की सामूहिक बीमा योजनाओं के अंतर्गत तटरक्षक के कर्मचारियों को नवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड के माध्यम से प्रदान की जाने वाली या प्रदान किए जाने के लिए सहमति दी गई जीवन बीमा सेवाएं।	शून्य	शून्य";

(छ) क्रम संख्या 36 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (ग) में "पचास हजार" शब्दों के स्थान पर "दो लाख" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ज) क्रम संख्या 36 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"**36**क	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	क्रम संख्या 35 या 36 में विनिर्दिष्ट बीमा योजनाओं के पुन: बीमा के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं	शून्य	शून्य";

(झ) क्रम संख्या 39 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"39क	शीर्ष 9971	किसी बहु सेवा वाले विशेष आर्थिक जोन में स्थित वित्तीय सेवाओं के माध्यस्थ जिनका इंटरनेशल फाइनेशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी) स्टेटस हो, के द्वारा भारत के बाहर स्थित किसी ग्राहक को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए भारतीय रुपए से भिन्न किसी अन्य मुद्रा में दी गई सेवाएं **स्पष्टीकरण** :- इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए, आईएफएससी में वित्तीय सेवाओं के माध्यस्थ से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, (i) जिसे भारत सरकार ने इस निमित्त अनुमति या मान्यता दी है या किसी विनियामक प्राधिकरण ने इस निमित्त अनुमति दी है या जो आईएफएससी के विनियमन के लिए नियुक्त कोई विनियामक है के रूप में मान्यता दी है, या	शून्य	शून्य";

		(ii) जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र) विनियमावली, 2015 के अंतर्गत भारत के बाहर का कोई निवासी व्यक्ति माना गया हो, या (iii) जो कि भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र) के दिशा-निर्देश, 2015 के अंतर्गत आईएफएससी बीमा अधिकारी के रूप में पंजीकृत हो, या (iii) जिसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, (सेबी) ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अंतरराष्ट्रीय, वित्तीय सेवा केन्द्र) दिशा-निर्देश, 2015 के अंतर्गत इस निमित्त अनुमति प्रदान की हो ।		

(ञ) क्रम संख्या 45 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में,-

i. मद (क), उप मद (ii) के पश्चात, निम्नलिखित उप मद को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-
"(iii) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय;";

ii. मद (ख), उप मद (iii) के पश्चात, निम्नलिखित उप मद को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-
"(iv) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय;";

iii. मद (ग), उप मद (ii) के पश्चात, निम्नलिखित उप मद को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-
"(iii) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय ।";

(ट) क्रम संख्या 53 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"53क	शीर्ष 9985	कृषि उत्पादों के वेयरहाउसों में धूमन के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं	शून्य	शून्य";

(ठ) क्रम संख्या 54 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में मद (छ), के पश्चात निम्नलिखित मद को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(ज) कृषि उत्पादों के वेयरहाउसों में धूमन के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं ।"

(ड) क्रम संख्या 60 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में शब्द "विदेश मामले के मंत्रालय" को निरसित किया जाएगा।

(ढ) क्रम संख्या 65 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"65क	शीर्ष 9991	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) के अंतर्गत जानकारी प्रदान करने के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं	शून्य	शून्य";

(ण) क्रम संख्या 66 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में,-

i. मद (क) के पश्चात, निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(कक) किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रवेश शुल्क के रूप में प्रतिफल के एवज में प्रवेश परीक्षा को आयोजित करके दी जाने वाली सेवा;"

ii. मद (ख) में,-

(क) उप-मद (iv) में, " माध्यमिक स्तर तक" शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(ख) उप मद (iv), के पश्चात, निम्नलिखित उप मद को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(v) एजुकेशनल जर्नल्स या पीरियोडिकल्स की ऑन लाइन आपूर्ति के माध्यम से किसी शैक्षणिक संस्थान को";

(ग) परन्तुक में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "प्रविष्टि (ख)' के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर "मद (ख) के उप मद (i), (ii) और (iii) " को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"बशर्ते और भी कि मद (ख) के उप मद (v) में निहित कोई भी बात ऐसे संस्थानों पर लागू नहीं होगी जो कि, –

(i) विद्यालय पूर्व शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक स्तर तक या समकक्ष स्तर तक शिक्षा के माध्यम से; या

(ii) किसी अनुमोदित व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के एक हिस्से के रूप में शिक्षा के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हों";

(त) क्रम संख्या 77 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (ग) में "पांच हजार" शब्दों के स्थान पर "सात हजार पांच सौ" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(थ) क्रम संख्या 81 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"निम्नलिखित में प्रवेश के अधिकार के रूप में दी जाने वाली सेवाएं –

(क) सर्कस, नृत्य या थिएटर-मंचन जिसमें नाटक या बैले भी शामिल है;

(ख) पुरस्कार समारोह, संगीत समारोह और पैजियंट प्रतियोगिता, संगीत प्रदर्शन या कोई क्रीड़ा जो कि मान्यता प्राप्त क्रीड़ा समारोह से भिन्न हो;

(ग) मान्यता प्राप्त क्रीड़ा समारोह;

(घ) तारामंडल;

जहां उपर्युक्त मद (क), (ख), (ग) या (घ) में यथा संदर्भित समारोह या स्थानों में प्रवेश के अधिकार का प्रतिफल 500 रुपए प्रति व्यक्ति से अधिक न हो".

2. यह अधिसूचना 25 जनवरी, 2018 से प्रवृत्त होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उपसचिव- VI (वित्त)

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को सं. फा. 03(15)/वित्त (राजस्व-1)/2017-18/डीएस-VI/380, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-**IV**, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 47/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 28 नवम्बर, 2017 जिसे सं. फा. 03(65)/वित्त(राजस्व-1)/2017-18/डीएस-V1/773, दिनांक 28 नवम्बर, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-**IV**, में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

Delhi, the 13th February, 2018

No. 2/2018–State Tax (Rate)

No.F3(84)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/75.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-1), No.12/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number No.F3(15)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/380, dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

(a) against serial number 3, in the entry in column (3), after the words "a Governmental Authority" the words "or a Government Entity" shall be inserted;

(b) after serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3A	Chapter 99	Composite supply of goods and services in which the value of supply of goods constitutes not more than 25 per cent. of the value of the said composite supply provided to the Central Government, State Government or Union territory or local authority or a Governmental authority or a Government Entity by way of any activity in relation to any function entrusted to a Panchayat under article 243G of the Constitution or in relation to any function entrusted to a Municipality under article 243W of the Constitution.	Nil	Nil";

(c) against serial number 16, in the entry in column (3), for the words "one year", the words "three years" shall be substituted;

(d) after serial number 19 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"19A	Heading 9965	Services by way of transportation of goods by an aircraft from customs station of clearance in India to a place outside India.	Nil	Nothing contained in this serial number shall apply after the 30thday of September, 2018.
19B	Heading 9965	Services by way of transportation of goods by a vessel from customs station of clearance in India to a place outside India.	Nil	Nothing contained in this serial numbershall apply after the 30thday of September, 2018.";

(e) against serial number 22, in the entry in column (3), after item (b), the following item shall be inserted, namely: -
"(c) motor vehicle for transport of students, faculty and staff, to a person providing services of transportation of students, faculty and staff to an educational institution providing services by way of pre-school education and education upto higher secondary school or equivalent.";

(f) after serial number 29 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"29A	Heading 9971 or Heading 9991	Services of life insurance provided or agreed to be provided by the Naval Group Insurance Fund to the personnel of Coast Guard under the Group Insurance Schemes of the Central Government.	Nil	Nil";

(g) against serial number 36, in the entry in column (3), in item (c), for the words “fifty thousand”, the words “two lakhs” shall be substituted;

(h) after serial number 36 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“36A	Heading 9971 or Heading 9991	Services by way of reinsurance of the insurance schemes specified in serial number 35 or 36.	Nil	Nil”;

(i) after serial number 39 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“39A	Heading 9971	Services by an intermediary of financial services located in a multi services SEZ with International Financial Services Centre (IFSC) status to a customer located outside India for international financial services in currencies other than Indian rupees (INR). *Explanation*.- For the purposes of this entry, the intermediary of financial services in IFSC is a person,- (i) who is permitted or recognised as such by the Government of India or any Regulator appointed for regulation of IFSC;or (ii) who is treated as a person resident outside India under the Foreign Exchange Management (International Financial Services Centre) Regulations, 2015; or (iii) who is registered under the Insurance Regulatory and Development Authority of India (International Financial Service Centre) Guidelines, 2015 as IFSC Insurance Office; or (iv) who is permitted as such by Securities and Exchange Board of India (SEBI)under the Securities and Exchange Board of India (International Financial Services Centres) Guidelines, 2015.	Nil	Nil”;

(j) against serial number 45, in the entry in column (3),-

i. in item (a), after sub-item (ii), the following sub-item shall be inserted, namely:-
“(iii) the Central Government, State Government, Union territory, local authority, Governmental Authority or Government Entity;”;

ii. in item (b), after sub-item (iii), the following sub-item shall be inserted, namely:-
“(iv) the Central Government, State Government, Union territory, local authority, Governmental Authority or Government Entity;”;

iii. in item (c), after sub-item (ii), the following sub-item shall be inserted, namely:-

“(iii) the Central Government, State Government, Union territory, local authority, Governmental Authority or Government Entity.”;

(k) after serial number 53 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"53A	Heading 9985	Services by way of fumigation in a warehouse of agricultural produce.	Nil	Nil";

(l) against serial number 54, in the entry in column (3), after item (g), the following item shall be inserted, namely:-
"(h) services by way of fumigation in a warehouse of agricultural produce.";

(m) against serial number 60, in the entry in column (3), the words "the Ministry of External Affairs," shall be omitted;

(n) after serial number 65 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"65A	Heading 9991	Services by way of providing information under the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005).	Nil	Nil";

(o) against serial number 66, in the entry in column (3),-

i. after item (a), the following item shall be inserted, namely:-
"(aa) by an educational institution by way of conduct of entrance examination against consideration in the form of entrance fee;";

ii. in item (b),-

A. in sub-item (iv), the words "upto higher secondary" shall be omitted;

B. after sub-item (iv), the following sub-item shall be inserted, namely:-
"(v) supply of online educational journals or periodicals:";

C. in the proviso, for the word, brackets and letter "entry (b)", the words, brackets and letters "sub-items (i), (ii) and (iii)of item (b)" shall be substituted;

D. after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-
"Provided further that nothing contained in sub-item (v) of item (b) shall apply to an institution providing services by way of,-
(i) pre-school education and education up to higher secondary school or equivalent; or
(ii) education as a part of an approved vocational education course.";

(p) against serial number 77, in the entry in column (3), in item (c), for the words "five thousand", the words "seven thousand five hundred" shall be substituted;

(q) against serial number 81, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely: -

"Services by way of right to admission to-
(a) circus, dance, or theatrical performance including drama or ballet;
(b) award function, concert, pageant, musical performance or any sporting event other than a recognised sporting event;
(c) recognised sporting event;
(d) planetarium,
where the consideration for right to admission to the events or places as referred to in items (a), (b), (c) or (d) above is not more than Rs. 500 per person.".

2. This notification shall come into force with effect from the 25th day of January, 2018.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

A.K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance)

Note: The principal notification was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, *vide* notification No. 12/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, *vide* number F. 3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/380, dated the 30th June, 2017 and was last amended by notification No. 47/2017–State Tax (Rate), dated the 28th November, 2017 *vide* number F. 3(65)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/773, dated the 28th November, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.02.28 11:34:20 +05'30'